राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./4953/2005/सवाईमाधोपुर

1- रुमाली बेवा किशन (फौत होने से तर्क)
2- रघुवीर पुत्र किशन
3- अतरसिंह पुत्र किशन
4- शेर सिंह पुत्र किशन
समस्त जाति जाट, निवासी श्यारोली, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर

......अपीलार्थी

बनाम

1- भूरमल पुत्र झण्डू
2- भरोसी पुत्र झण्डू
समस्त जाति जाट, निवासी श्यारोली, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर
3- राजस्थान सरकार

.... रेस्पो0

खण्ड पीठ
डॉ0 आर0 वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित-
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मो0 रमजान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या-1
श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या-3
रैस्पो0 संख्या- 2 की ओर से बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक : 18-11-2020

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 75/2001 शीर्षक 'रुमाली बनाम भूरमल' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4-12-2000 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी के समक्ष वादी/वर्तमान रैस्पो0 संख्या-1 की ओर से प्रतिवादी/वर्तमान रैस्पो0 संख्या-2 के विरुद्ध वादपत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेषाज्ञा ग्राम श्यारौली, तहसील गंगापुर सिटी की आराजी के सम्बन्ध में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 2315 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का भूमि एकीकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता की आराजी की मिला कर खसरा नम्बर 901 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कायम किए गए। नवीन भू प्रबन्ध में उक्त आराजी के खसरा नम्बरान 2480 रकबा 29 एअर, 2481 रकबा 46 एअर, 2482 रकबा 16 एअर, 2484 रकबा 45 एअर कायम किए गए और हाल भू प्रबन्ध में साबिक की तुलना में 5 एअर रकबा वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का कम किया जा कर हाल खसरा नम्बर 2490 रकबा 6 एअर का पृथक से रास्ता कायम कर दिया गया जब कि एकीकरण के पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या-1 की खातेदारी में पूर्व दिशा में

कोई रास्ता नहीं था। वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 ने मौके पर विभाजन कर रखा है एवं खसरा नम्बर 2484 वादी के हिस्से में आया है। अतः दावा वादी डिक्री कर खसरा नम्बर 2490 रकबा 6 एअर रास्ता में से 5 एअर रकबा हजफ किया जा कर वादी व प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी में दर्ज किया जाये व प्रतिवादी संख्या–2 राज्य पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी को बेदखल नहीं करें। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुरसिटी ने निर्णय दिनांक 4–12–2000 से वादी का वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थीगण पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96, सी0पी0सी0 प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 75/01 प्रस्तुत की और राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–12–2000 से अपील को खारिज किया गया, जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य रुप से बहस में यही कथन रहा है कि उपखण्ड अधिकारी ने इकतरफा में निर्णय पारित किया है। वादपत्र में जो दादरसी चाही गई थी उसे परीक्षण न्यायालय के स्तर पर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक था कि वर्तमान अपीलार्थीगण को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाता। अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार थे और अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना वाद संधारण योग्य नहीं था। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी स्वयं खसरा नम्बर 2490 रकबा 6 एअर को रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता होना स्वीकार करके आया है किन्तु स्पष्ट नहीं किया है कि खसरा नम्बर 2490 के साबिक खसरा नम्बरान कौन से रहे हैं। साबिक खसरा नम्बर 901 के पूर्व एकीकरण खसरा नम्बर 2315 कायम हो चुका था, जिसका कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा था। आराजी खसरा नम्बर 901 एकीकरण के बाद का खसरा नम्बर है जिसका रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा हो गया किन्तु वादी सिद्ध नहीं कर पाया है कि खसरा नम्बर 901 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कायम हुआ वे रकबा कौन से खसरा नम्बर का बढा। हाल खसरा नम्बर 2490 रकबा 6 एअर गै0मु0 रास्ता केवल अपीलार्थीगण के खेतों पर जाने के लिए बना है। इसमें से 5 एअर रास्ता काट दिया जाता है तो मौके पर 1 एअर का ही रास्ता बचेगा जो किसी प्रकार से रास्ते के प्रयोग में नहीं आ सकता है। बहस में उन्होंने आगे कथन किया कि वादी किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाया कि मौके पर एकीकरण के पूर्व व एकीकरण के बाद और बन्दोबस्त के पहिले गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं था या था तो उसका रकबा केवल 1 एअर ही था। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा खसरा नम्बर 2490 रकबा 5 एअर का वादी को खातेदार घोषित करने में विधिक व तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 की अनुपालना में निर्णय पारित नहीं किए हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय के स्तर पर धारा 96, सी0पी0सी0 के प्रार्थनापत्र पर निर्णय नहीं किया गया है और धारा 5 मियाद अधिनियम को भी गलत प्रकार से तय किया गया है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाए।

5– रैस्पो0 संख्या–1 पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद दायर किया गया था उसमें वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा

गया था, अतः उन्हें पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान अपीलार्थीगण वाद में पक्षकार नहीं हैं और ना ही किसी प्रकार से व्यथित हैं, अतः उन्हें अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस नहीं रहा है। रैस्पो0 का साबिक रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा का था जिसके बराबर 4.05 है0 भूमि होती है। वादी की वर्तमान खातेदारी में 3.71 है0 भूमि दर्ज है और इस प्रकार कुल 34 एअर भूमि है। साबिक नम्बर 901 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा से बने हाल नम्बरों का कुल रकबा 1.36 है0 है जब कि 1.43 है0 होना चाहिए अर्थात् साबिक से हाल में 7 एअर कम रकबा रहा है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने स्पष्ट अंकित किया है कि साबिक व हाल नक्शा ट्रैसों के मिलान से भी हाल खसरा नम्बर 2490 साबिक नम्बर 901 से बनना पाया जाता है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तथ्यों व रिकार्ड के आधार पर है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को पुष्ट किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित होने से अपील खारिज की जाए। रैस्पो0 ने अपने पक्ष में न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0 (22) 2015 पेज 275, 280 आर0बी0जे0 (23) 2016 पेज 482, आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज 50 प्रस्तुत किए।

6- राज्य पक्ष की ओर से योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को उचित बताया।

7- योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

8- हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी के समक्ष वादी/वर्तमान रैस्पो0 संख्या-1 भूरमल की ओर से प्रतिवादी/वर्तमान रैस्पो0 संख्या-2 भरोसी के विरुद्ध वादपत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेषाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया था कि खसरा नम्बर 2315 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का भूमि एकीकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता की आराजी की मिला कर खसरा नम्बर 901 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कायम किए गए। नवीन भू प्रबन्ध में उक्त आराजी के खसरा नम्बरान 2480 रकबा 29 एअर, 2481 रकबा 46 एअर, 2482 रकबा 16 एअर, 2484 रकबा 45 एअर कायम किए गए और हाल भू प्रबन्ध में साबिक की तुलना में 5 एअर रकबा वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का कम किया जा कर हाल खसरा नम्बर 2490 रकबा 6 एअर का पृथक से रास्ता कायम कर दिया गया जब कि एकीकरण के पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या-1 की खातेदारी में पूर्व दिशा में कोई रास्ता नहीं था। वादी एवं प्रतिवादी संख्या-1 ने मौके पर विभाजन कर रखा है एवं खसरा नम्बर 2484 वादी के हिस्से में आया है। अतः दावा वादी डिक्री कर खसरा नम्बर 2490 रकबा 6 एअर रास्ता में से 5 एअर रकबा हजफ किया जा कर वादी व प्रतिवादी संख्या-1 की खातेदारी में दर्ज किया जाये व प्रतिवादी संख्या-2 राज्य पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी को बेदखल नहीं करें। प्रकरण में जो साक्ष्य रिकार्ड पर आई है उसके अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि वादी/रैस्पो0 का साबिक रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा का था जिसके बराबर 4.05 है0 भूमि होती है। वादी की वर्तमान खातेदारी में 3-71 है0 भूमि दर्ज है और इस प्रकार कुल 34 एअर भूमि है। साबिक नम्बर 901 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा से बने हाल नम्बरों का कुल रकबा 1.36 है0 है जब कि 1.43 है0 होना चाहिए अर्थात् साबिक से हाल में 7 एअर कम रकबा रहा है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने भी अपने निर्णय में इसी प्रकार का मत प्रतिपादित किया है और स्पष्ट अंकित

किया है कि साबिक व हाल नक्शा ट्रेसों के मिलान से भी हाल खसरा नम्बर 2490 साबिक नम्बर 901 से बनना पाया जाता है। अतः साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के अवलोकन के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 901 से हाल खसरा नम्बर 2490 कायम किया जाना होने से खसरा नम्बर 2490 में से 5 एअर रकबा भूमि वादी के पक्ष में डिक्री करने में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने किसी प्रकार की भूल नहीं की है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलाधीन निर्णय से इस निर्णय को पुष्ट किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं। न्याय दृष्टांत RBJ (4) 1997 page 39 DB BOR, RBJ (16) 2009 page 725 DB BOR, RBJ (14) 2007 page 35 RHC में स्पष्ट रूप से मत प्रतिपादित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः अपील सारहीन होना प्रतीत होती है। अतः अपील सारहीन पाए जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(डॉ0 आर0 वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष